आरटीआई मामला/स्पीड पोस्ट

सं. 11017/6/2013-हिंदी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001, दिनांक :२१ फरवरी, 2017

सेवा में,

नोडल अधिकारी/सीपीआईओ (आरटीआई),
विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी उपक्रम/कार्यालय/बोर्ड/संगठन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में पंजीकरण संख्या विद्युत/आर/2017/00068 दिनांक 17/2/2017 के माध्यम से प्राप्त राजभाषा विभाग के दिनांक 07.02.2017 के पत्र सं. 16034/01/2017-रा.भा.(प्रशा.) के साथ प्राप्त श्री श्यामधर तिवारी, 3/3 तुलसी मानस मंदिर कालोनी, दुर्गाकुंड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221005 के 31.12.2016 के आरटीआई आवेदन की प्रति संलग्न है।

2. अनुरोध है कि आरटीआई आवेदन के प्रश्न सं. 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18 और 19 के संबंध में सूचना सीधे श्री श्यामधर तिवारी को भेज दी जाए और उसकी प्रति इस मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(सत्यमूर्ति नागेश)
सहायक निदेशक(रा.भा.)/सीपीआईओ

प्रति प्रेषित :

1. श्री श्यामधर तिवारी, 3/3 तुलसी मानस मंदिर कालोनी, दुर्गाकुंड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221005
2. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड नई दिल्ली
3. अवर सचिव, आरटीआई, विद्युत मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार मामला

सं.16034/01/2017-रा.भा.(प्रशा.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

*****

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,

जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1,

दिनांकः 07.02.2017

सेवा में,

श्री श्यामधर तिवारी
3/3 तुलसी मानस मंदिर कालोनी,
दुर्गाकुंड, वाराणसी,
उत्तर प्रदेश - 221005

AD(OL)
US (Admn-2)
16/2/17

विषय : सूचना अधिकार अधिनयम, 2005 के तहत श्री श्यामधर तिवारी का आवेदन ।

उपर्युक्त विषय पर कृपया आप अपने दिनांक 31.12.2016 के आर.टी.आई. आवेदन का संदर्भ लें, जोकि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 17.01.2017 को प्राप्त हुआ है। उक्त आरटीआई के बिन्दु संख्या 15 से संबंधी सूचना संलग्न की जा रही है । वर्तमान में सचिव (राजभाषा) का कार्यालय तृतीय तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में स्थित है । बिन्दु संख्या 22, 23 एवं 24 का संबंध राज्य सरकारों से है । अतः इस संबंध में सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त की जा सकती हैं ।

2. उक्त आरटीआई के अन्य बिन्दुओं के लिए आपके आरटीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाता है | आवेदक द्वारा 10रु/- की फीस अदा कर दी गई है ।

3. अगर आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपीलीय प्राधिकारी एवं निदेशक (प्रशासन) राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल, बी-विंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को अपील कर सकते हैं ।

भवदीय,

07/02/17

(पवन कुमार)

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)

दूरभाषः 23438126

21. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (आरटीआई/प्रशासन), रेल मंत्रालय, कमरा नंबर 256-ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली, दिल्ली -110001
22. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
23. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016
24. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (आरटीआई/प्रशासन), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, द्वतिय मंजिल, एनेक्सी भवन, शिवाजी स्टेडियम, शहीद भगत सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली - 110001
25. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, सी विंग, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
26. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), इस्पात मंत्रालय , उद्योग भवन, डॉ मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
27. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
28. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय, परिवहन भवन, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
29. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), जनजातीय मामलों के मंत्रालय, शास्त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली - 110 011
30. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय, मौलाना आजाद रोड, राजपथ क्षेत्र, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली, दिल्ली -110001
31. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
32. अवर सचिव (स्थापना) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली |
33. उप निदेशक (समन्वय) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
34. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001
35. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-03
36. अवर सचिव (RTI) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, वित मत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-01
37. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली - 110001
38. अवर सचिव (आरटीआई/प्रशासन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, कमरा नंबर 503, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
39. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जी-30, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66

40. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (आरटीआई सेल), कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
41. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरगंज विमानपत्तन, नई दिल्ली
42. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (आरटीआई सेल), कमरा नंबर 119, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001,
43. अवर सचिव (आरटीआई/समन्वय) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (आरटीआई सेल), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
44. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, पृथ्वी भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
45. अवर सचिव (आरटीआई/समन्वय) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049
46. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लॉक-14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ।
47. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी(आरटीआई/प्रशासन), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, कमरा नं. 271, विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली-110011
48. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
49. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, पंचायती राज मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-01
50. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली-01
51. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
52. अवर सचिव (आरटीआई) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
53. अवर सचिव (आरटीआई) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
54. अवर सचिव (प्रशासन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-01
55. अनुभाग अधिकारी (शिकायत) एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
56. अवर सचिव (आरटीआई) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-01
57. अवर सचिव (समन्वय) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, पेंशन और पेंशनरों कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।

23360/2017/JS-OL
12/1/17

सेवा में

दिनांक ३१.१२.२०१६

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

एन डीसीसी-II भवन, चौथा तल,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली- ११०००१

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध

महोदय,

निम्नलिखित प्रश्नों के संबंध में 'वस्तुनिष्ठ सूचना' उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आयोग की वेवसाइट पर यह सूचना उपलब्ध नहीं है। कृपया हिंदी में पत्र के माध्यम से उत्तर दें।

JS(OL)

CENTRAL REGISTRY
RTI
09 JAN 2017
R&I SEC. NDCC-II (MHA)

१. राजभाषा विभाग की जनशक्ति-स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या क्या है?

(३१ अक्तूबर, २०१६ की स्थिति)

२. राजभाषा विभाग का विगत १० वर्षों में बजट क्या रहा है?

३. राजभाषा विभाग के कार्यन्वयन अनुभाग-१ और कार्यान्वयन-२ के कार्य क्षेत्र क्या है?

४. राजभाषा विभाग कार्यान्वयन कार्यालय के दिल्ली और गाजियाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कौन-कौन प्रदेश/क्षेत्र आते हैं?

५. केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि का जो मानक रूप निर्धारित किया गया है, उसका प्रयोग राजभाषा विभाग के पत्राचार, प्रकाशित पत्र-साहित्य, राजभाषा भारती पत्रिका

निदेशक (प्रशा०/का०)
15/1/2017

आदि में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है। इस समस्या का समाधान कब, कैसे होगा?

६. 'हिंदी अनुभाग' किस वर्ष 'हिंदी प्रभाग' में परिवर्तित हुआ था। इसके पीछे नीतिगत और प्रक्रियागत विशेषताएं क्या थी?

७. पूरे देश में भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं का नाम एवं उनकी प्रकाशन अवधि का विवरण उपलब्ध कराएं।

८. राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेश बिंदु ८ में रक्षा सेवाओं की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प देने का निर्देश किया गया था। इसके साथ ही रक्षा सेवाओं की प्रवेश परीक्षाओं में अन्य भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम बनाने के लिए विचार करने हेतु विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया। इस विषय में कब, कौन, समिति गठित की गई। उसके निष्कर्ष क्या रहे हैं। रक्षा प्रवेश परीक्षाओं में भाषा माध्यम विकल्प की अद्यतन स्थिति क्या है?

९. राजभाषा नियम १९७६ के नियम ८ (४) के अंतर्गत देश में व्यक्तिशः विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/ कर्मचारियों की क, ख, ग क्षेत्रवार संख्या क्या है?

१०. राजभाषा १९७६ के नियम १० (४) में कुल अधिसूचित और कुल अनधिसूचित कार्यालयों की संख्या और नाम क्या है?

(३१ अक्तूबर २०१६)

११. राजभाषा नियम १६७६ के नियम १२ के अन्तर्गत आज तक राजभाषा विषयक सांविधानिक प्रावधान अधिनियम, आदेश और नियमों के उल्लंघन के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक, विभागीय, कार्यवाही की गई है।

१२. राजभाषा प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में विगत १० वर्षों में राजभाषा विभाग को वर्षवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतें किन विषयों से संबंधित है। उनके समाधान के क्या उपाय किए गए हैं?

१३. राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियोंकी वर्तमान संख्या (३१अक्तूबर २०१६) में क्या है?

१४. राजभाषा विभाग द्वारा सिविल याचिका संख्या ६७४/२०१४ के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में क्या राजभाषा हिंदी के प्रयोग की असाध्यता विषयक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है? इसके लिए विधि आयोग की रिपोर्ट २१६ वर्ष २००८ को एकमात्र आधार बनाया गया है अथवा अन्य कोई आधार भी है? क्या विधि आयोग की रिपोर्ट और राजभाषा विभाग का शपथ-पत्र भारतीय संविधान के आज्ञापक अनुच्छेद ३४३ और ३५१ के निर्देश के विपरीत नहीं है। क्या विधि आयोग की रिपोर्ट अतिसीमित वर्ग-विधि व्यवसाइयों-न्यायाधीश एवं अधिवक्तागणों के विचारों तक सीमित नहीं है? क्या अन्य

वर्ग समूहों से परामर्श किया गया है? राजभाषा हिंदी के विकास प्रसार के लिए स्थापित राजभाषा विभाग द्वारा भारतीय संघ के कार्यालयों-न्यायालयों में हिंदी प्रयोग की असंभाव्यता का समर्थन क्या स्वयं अपने अस्तित्व के विरुद्ध नहीं है? विधि आयोग और राजभाषा विभाग ने किस प्रकार देश की करोड़ों जनता के हित का विचार किया और जनसामान्य से संपर्क परामर्श किया था? सांविधानिक अपेक्षा के विरुद्ध शपथ-पत्र देने का क्या औचित्य है? राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के पहले कब और किस स्तर पर नीतिगत निर्णय हुआ है? क्या यह निर्णय गोपनीय है यदि नहीं तो इन बैठकों के कार्यवृत्त का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

१५. आरंभ से आज तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार और राजभाषा सचिव नाम और कार्यालय का विवरण दें।

१६. अब तक किन-किन उच्च न्यायालयों में और कब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की गई है।

१७. भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार तथा तमिलनाडु स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को किन भाषाओं में पत्र प्रेषित किये जाते हैं?

१८. कई वर्षों से वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्य तो अक्षरशः एक है तो हिंदी के प्रगामी प्रयोग का क्या आशय है। वर्ष २०१३-१४ के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रतिशत बिंदुवार प्रारूप में दें।

१६. विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन भारत सरकार के किन संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा है? कब-कब और कहां-कहां इनका आयोजन हुआ? अगला आयोजन कब कहां होगा?

२०. गुजरात उच्च न्यायालय में गुजराती भाषा के प्रयोग की राज्यपाल की अनुशंसा के संबध में राजभाषा विभाग और महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय की क्या आपत्तियां रहीं हैं। गुजरात उच्च न्यायालय में गुजराजी भाषा प्रयोग किए जाने के संबंध में क्या अड़चने हैं?

२१. राजभाषा विभाग द्वारा १६८० और २००५ में प्रकाशित हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन में संघ की राजभाषा नीति के संबंध में मुद्रित सांविधानिक उपबंधों के हिंदी पाठ में भाषायी भेद का क्या कारण हैं। क्या इनका हिंदी अनुवाद परिवर्तित किया गया या सुधारा गया हैं।

२२. किन-किन हिंदीतर भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा को राजभाष बनाने के अधिनियम पारित किए गए हैं और किन वर्षों में?

२३. भारत संघ के किन प्रदेशों की राजभाषा एकमात्र अंग्रेजी है?

२४. भारत संघ के किन राज्यों में दो या अधिक राजभाषाएं हैं। वे भाषाएं कौन-कौन है?

२५. राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी लक्ष्य-वार्षिक कार्यक्रमों- १९९९ से २०१६ की अवधि में किन मदों-विषयों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। किन विषयों को लक्ष्य पूरा होने के बाद वार्षिक कार्यक्रम से हटाया गया। किन विषयों को लक्ष्य पूरा न होने के बावजूद कार्यक्रमों से हटा दिया गया। उसके पीछे क्या कारण थे? वार्षिक कार्यक्रम में नए विषयों को शामिल करने का आधार क्या है? वार्षिक कार्यक्रम के लिए इन विषयों के चयन में कब-कब परिवर्तन किया गया।

२६. सांविधानिक प्रावधानो की पूर्ति हेतु आवश्यक हिंदी पदों के सृजन पर व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या ७ (४) ई. कोर्ड/२००० दिनांक २४.०९.२००० दुवारा लगाए गए प्रतिबंध की अद्यतन स्थिति क्या है?

२७. संसदीय राजभाषा समिति का नवाँ प्रतिवेदन संसद-लोकसभा व राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ। इस प्रतिवेदन के संबंध में क्या राष्ट्रपति का कोई आदेश हुआ है?

२८. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के आठवें खंड में गृह मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदूयुत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, में कार्यरत २५ प्रतिशत से अधिक हिंदी में अप्रशिक्षित अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम संचालित करके

एक वर्ष में प्रशिक्षण कार्य पूरा करने की अनुशंसा की थी। राजभाषा विभाग द्वारा इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कोई विशेष योजना बनाई और चलाई गई थी। इसके क्या परिणाम रहे?

इसी प्रतिवेदन मे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय, के सभी अंग्रेजी कोड मैनुअल का एक वर्ष के भीतर हिंदी में अनुवाद करने के लिये केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग आदि को शामिल करके विशेष कार्यबल गठित किया जाना था। इस कार्य की अद्यतन स्थिति क्या हैं?

शुल्क के रूप में १० रुपये का पोस्टल आर्डर (संख्या-३४ एफ ४४३६१०) संलग्न कर रहे है।

भवदीय

(श्यामधर तिवारी)

३/३ तुलसी मानस मंदिर कालोनी

दुर्गाकुंड, वाराणसी,

उ.प्र. २२१००५

दूरभाष ६४५२३०२५८५